



### :- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित आवश्यक सूचना :-

संस्थान में अध्ययनरत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नवीनीकरण हेतु छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र २०२२-२३ में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन का आन लाइन के माध्यम से फार्म भरने से पहले निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये छात्र-छात्राये अपना-अपना छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन समाज कल्याण विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित तिथि के अनुसार भरना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए छात्र-छात्राए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

1. सत्र २०२२-२३ में पूर्व सत्र में आवेदन कर चुके पात्र छात्र-छात्राये नवीनीकरण (Renew) करेंगे।
2. यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण/ईयर बैक/Re-Admitted हो जाते हैं वे छात्र छात्रवृत्ति फार्म भरने के पात्र नहीं होंगे।
3. नवीनीकरण के छात्र-छात्राये छात्रवृत्ति आवेदन को अंतिम स्तर पर जमा करने से पूर्ण यह सुनिश्चित करने की उनके द्वारा आवेदन में जो सूचना प्रेषित की गई है वह पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए। जैसे :- इनरोलमेन्ट संख्या, गत वर्ष का प्राप्तांक/पूर्णांक, वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि, बैंक खाता संख्या, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के क्रमांक इत्यादि।
4. नवीनीकरण के छात्र-छात्राये को सूचित किया जाता है कि छात्रवृत्ति आवेदन के समय छात्र-छात्राओं के द्वारा अपना आय एवं जाति प्रमाण पत्र वैध था। तो वह आय एवं जाति प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक वैध ही रहेगा। उसकी तिथि निकलने पर भी अन्य प्रमाण पत्र न लगाया जाये। यदि किसी भी छात्र-छात्रा के द्वारा उपरोक्त प्रमाण पत्र बदल देता है। यदि विभाग द्वारा उक्त छात्र-छात्रा के छात्रवृत्ति आवेदन निरस्त होने की दशा में वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. वर्ष २०२२-२३ में नवीनीकरण के छात्रों को आधार नम्बर के साथ-साथ एनरोलमेन्ट नम्बर भरना अनिवार्य होगा। तथा छात्र-छात्राओं को अपना आधार कार्ड न० को सम्बन्धित बैंक खाता से लिंक कराना अनिवार्य है। एव आवेदन पत्र में राशन कार्ड / परिवार आई० डी० का अंकन करने हेतु आशान दे दिया गया है। जिसे सुविधानुसार अंकित करें।
6. संस्थान में अध्ययनरत अभ्याथी को समाज कल्याण विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित अन्तिम तिथि तक ऑनलाइन छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन पत्र भरना होगा। अन्तिम तिथि के पश्चात् भरे जाने वाले ऑनलाइन छात्रवृत्ति एव शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. किसी भी समूह में छात्र के वार्षिक परीक्षा में असफल रहने की स्थिति में उसकी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा। सम्बन्धित छात्रों को तब तक अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा। जबतक वह अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो जाता है।
8. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, अभ्याथी की संतोष जनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर करती है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा समाज कल्याण विभाग को सूचित किया जाता है कि कोई अभ्याथी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोष जनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुर्व्यवहार जैसे- हड़ताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि में दोषी पाया जाता है तो छात्रवृत्ति सस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है या तो रोक सकता है। या ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, तक के लिये आगे का भुगतान रोक सकता है।
9. छात्रों की कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है जिन छात्र-छात्राओं की कक्षाओं में उपस्थिति 75% से कम पायी जाती है उन छात्र-छात्राओं का छात्रवृत्ति फार्म को संस्थान से अग्रेसित नहीं किया जायेगा। जिसके लिए छात्र-छात्राये स्वयं जिम्मेदार होंगे।

प्रतिलिपि :-

1. ना० निदेशक महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. छात्रवृत्ति जांच कमेटी के सदस्यों को इस आशय से की समस्त अभिलेखों को जाँचोपरान्त फार्म अग्रसारित करने का कष्ट करें।
6. वेबसाइट प्रभारी को पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. समस्त सूचना पट्ट/समस्त छात्रावास सूचना पट्ट।
8. विभागीय पत्रावली।

  
(सन्तोष कुमार)  


  
(सन्तोष कुमार)  




## —:: अतिमहत्वपूर्ण सूचना ::—

सत्र 2022-23 हेतु संस्थान में अध्ययनरत बी0टेक द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र-छात्राओं का छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन फार्म ऑन लाइन के माध्यम से भरा जाना है। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट [scholarship.up.nic.in](http://scholarship.up.nic.in) पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन करने के उपरान्त उसका प्रिन्ट लेकर सभी छात्रवृत्ति समिति के अग्रसारण के उपरान्त आवश्यक सलग्नकों सहित (हार्ड व साफ्ट कापी (अधिकतम 2 एम0 बी0)) जमा किया जाना अनिवार्य है। जिसके लिए आप को समयानुसार ई-मेल के माध्यम से सूचना प्रेषित कर दी जायेगी। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन के साथ जमा किये जाने वाले सलग्नकों का विवरण निम्नवत् है।


सलग्नक :

- 1 दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन फीडेड आवेदन पत्र की प्रिन्ट की कापी।
- 2 हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की मार्कशीट व पास सर्टिफिकेट की फोटो कापी।
- 3 गत वर्ष के परीक्षा परिणाम की छाया प्रति।
- 4 आय प्रमाण-पत्र (माता-पिता/अभिभावक के नाम) तथा इन्टरनेट की सत्यापन प्रति के साथ।
- 5 जाति प्रमाण पत्र की फोटो कापी इन्टरनेट की सत्यापन प्रति के साथ (सामान्य वर्ग को छोड़कर)।
- 6 निवास प्रमाण-पत्र की फोटो कापी। (उ0प्र0 राज्य का स्थाई निवासी हो)
- 7 संस्थान में जमा किये गये शुल्क की रसीद (रसीद सहीत) की फोटो कापी। (यदि आवेदन में दिया हो)
- 8 यदि छात्र हॉस्टल में आवासित है, तो हॉस्टल द्वारा प्रदान की गयी शुल्क की रसीद की सत्यापित प्रति।
- 9 बैंक पास बुक की छाया प्रति (जिसमें छात्र/छात्रा के नाम व खाता संख्या एवं IFSC कोड स्पष्ट अंकित हो) संस्था में संचालित बैंक का हो एवं सभी छात्रों का आधार बैंक से लिंक होना अनिवार्य है।
- 10 छात्र एवं उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा रू0 10/- के स्टाम पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ सलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय समस्त स्रोतों से सही है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई अन्य श्रोत नहीं है, नोटरी कराकर सलग्न करें।
- 11 छात्र - छात्राये आवेदन पत्र के साथ अंकित किये गये राशन कार्ड / परिवार आई0 डी0 की छायाप्रति।
- 12 छात्र - छात्रा एवं उनके माता - पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति।
- 13 शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन में केवल अनिवार्य नॉन रिफण्डेबल शुल्क भरा जाना अनिवार्य है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा दिये जाने वाला नॉन रिफण्डेबल शुल्क		
2 <sup>nd</sup> Year	3 <sup>rd</sup> Year	4 <sup>th</sup> Year
रू0 54,045/-	रू0 54,045/-	रू0 54,545/-

नोट :-

1. आवेदन फार्म को अन्तिम स्तर पर जमा करने से पूर्व छात्र-छात्राएँ यह सूनिश्चित कर ले कि आप के द्वारा प्रविष्ट सूचना सही होगी चाहिए। सही से जाँच कराने के बाद ही अन्तिम स्तर पर जमा करने के उपरान्त प्रिन्ट ले। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में छात्र-छात्राएँ स्वयं जिम्मेदार होंगे।
2. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु उन्ही पात्र छात्र - छात्राओं के आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। जिनके आवेदन जमा करने के दिवस तक कक्षाओं में 75% उपस्थिति पूर्ण होगी एवं आवेदन विभागाध्यक्षों से सत्यापित/अग्रसरित होंगे। आवेदन पत्र सत्यापित/अग्रसरित न होने की दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा। जिसके लिए छात्र-छात्राएँ स्वयं जिम्मेदार होंगे।



(संतोष कुमार)

